जी हाँ।

जी हाँ।

प्रकरण की जांच करायी गयी। गाटा संख्या 581 का कुल रकवा 0.294 हे0 है, जिसमें 40 सहखातेदार हैं। इस भूमि पर मकान बनाकर खातेदार आवासित हैं। राजमार्ग के किनारे मात्र 90x50=4500 वर्गफुट भूमि रिक्त पड़ी है जिस पर कई पक्ष दावेदार है। जांच में विदित हूआ कि विक्रेता/दानकर्ता कभी उक्त विक्रीत/दान दी गई भूमि पर काबिज नही रहा है। प्रश्नगत विक्रय विलेख एवं दानपत्र में भी यह उल्लिखित है कि यदि भविष्य में विक्रीत/दान किया गया प्लाट मुझ प्रथम पक्ष के अधिकार स्वत्व में किसी दोष भार विवाद के कारण क्रेता/दानगृहीता के पक्ष से निकल जावे तो समस्त विक्रय धनराशि मय हर्जा खर्चा अदालत सहित वापस लौटाने की पूर्ण जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता/ दानकर्ता की होगी। अतः क्रेता एवं दानगृहीता को विक्रेता एवं दानकर्ता से कब्जा प्राप्त करना चाहिए। प्रशासनिक आधार पर कब्जा दिलाया जाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री
राजस्व विभाग।